राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 809/2024

ज्ञान प्रकाश —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त प्रमुख शासन सचिव (प्रथम) एवं अतिरिक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर।
3. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुचामनसिटी, कुचामनसिटी।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 23.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री मनोज ओजला, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी। सेवा के दौरान अपीलार्थी का विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण हुआ तथा वर्तमान में अपीलार्थी पंचायत समिति, कुचामनसिटी, जिला कुचामनसिटी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पंचायत समिति, खींवसर, जिला नागौर किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थी को स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत नहीं है क्योंकि अपीलार्थी पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत है और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में कर्मचारी का स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी को स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आक्षेपित स्थानांतरण आदेश नियम 1996 के नियम 289 के विपरीत है। स्थनांतरण आदेश में अपीलार्थी का नाम ज्ञान प्रकाश कड़वा है, जबकि नियुक्ति आदेश में अपीलार्थी का नाम

केवल ज्ञान प्रकाश है, इसके बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया है, इसलिए यह साबित होता है कि प्रत्यर्थी विभाग ने बिना सोचे–समझे स्थानांतरण आदेश पारित कर दिया है। अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश की प्रति अनुलग्नक–3 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी को गंभीर हृदय रोग है (अनुलग्नक–4) और अपीलार्थी का पूरा परिवार कुचामनसिटी में रहता है और यदि माननीय न्यायाधिकरण शैक्षणिक सत्र के मध्य में आरोपित स्थानांतरण आदेश को अनुमति देता है तो अपीलार्थी और उसके परिवार के पक्ष में गंभीर अन्याय होगा, इसलिए आलौच्य स्थानांतरण आदेश को अपास्त किया जाना चाहिए।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 23.02.2024 को अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 22.02.2024 प्रशासनिक आधार पर जिला परिषद की प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक दिनांक 22.02.2024 के प्रस्ताव संख्या 1.1 के निर्णय अनुमोदन के पश्चात किया गया है जो कि पूर्णतया उचित, वैध, विधि सम्मत एवं नियमानुसार किया गया है। स्थानांतरण आदेश की पालना में दिनांक 23.02.2024 को अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया। जब तक नवगठित जिलों का पुर्नसीमांकन नही हो जाता जिला परिषद, नागौर को ही सम्पूर्ण दोनों जिलों की एक प्रशासनिक इकाई एक जिले के रूप में माना गया है। पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 के अनुसार एवं आरएसअर के नियम 20 के अंतर्गत प्रशासन को चुस्त दुरूस्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पदस्थापित किया जा सकता है, एक लोकसेवक के पदस्थापन/स्थानांतरण के संबंध में निर्णय का अधिकार नियोक्ता को है कि वह अपने लोकसेवक को कब व कहां स्थानांतरित करता है। डीडवाना–कुचामन जिला तो बन गया लेकिन उसका नियंत्रण विभागीय पत्र दिनांक 06.10.2023 के अनुसार जिला परिषद नागौर द्वारा ही किया जा रहा है। स्थानांतरण व कार्यमुक्ति आदेश पूर्णतः प्रशासनिक कारणों से जारी किया गया है। अपीलार्थी ज्ञानप्रकाश/ज्ञानप्रकाश कडवा नाम से कार्यालय में एकमात्र कनिष्ठ सहायक कार्यरत होने के कारण यह कार्मिक एक ही है जबकि स्थानांतरण आदेश में कार्मिक के नाम के साथ कडवा लिखा हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति कुचामनसिटी में कार्यरत है, का आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के

द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर में किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में नवीन जिले के गठन हेतु जारी अधिसूचना में डीडवाना–कुचामन नये जिले का गठन अधिसूचित किया जा चुका है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में कर्मचारी का स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ऐसे कर्मचारी को स्थानांतरित करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आलौच्य स्थानांतरण आदेश नियम 1996 के नियम 289 के विपरीत है। प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि जब तक नवगठित जिलों का पुर्नसीमांकन नही हो जाता तब तक जिला परिषद, नागौर को ही सम्पूर्ण दोनों जिलों की एक प्रशासनिक इकाई एक जिले के रूप में माना गया है। विभागीय पत्र दिनांक 06.10.2023 के अनुसार जिला डीडवाना–कुचामन का प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद नागौर द्वारा ही किया जा रहा है। हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि डीडवाना–कुचामन नया जिला अधिसूचित होकर पृथक इकाई के रूप में संचालित है। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी का अन्तर जिला स्थानान्तरण है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से पूर्ण रूप स्पष्ट है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचासत समिति पंचायत समिति कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन से पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर किया किया गया है, जिस हेतु जिला परिषद् नागौर सक्षम नही है। अतः आलौच्य आदेश पंचायतीराज नियम–1996 के नियम 290 के प्रावधानों के विपरीत है। साथ ही राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम–290 के परंतुक में निम्न प्रावधान रखा गया हैः–

"परंतु अधिनियम की धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (1) और (पअ) में विनिर्दिष्ट पदों के कर्मचारियों को उस जिले के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जायेगा जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था"

इससे यह स्पष्ट है कि कनिष्ठ सहायक का अन्तर जिला स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपास्त किया जाता है एवं अधिकरण द्वारा जारी किया गया अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 07.03.2024 की पुष्टि (confirm) की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)